रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :– ,
सम्पादक, इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट, 127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –39 ● अंक –18 ● कानपुर 16 से 30 सितम्बर 2017 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹ 100

आवश्यक सूचना

समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को सूचित किया जाता है कि वे अपना ई–मेल आई0डी0 व मोबाईल नं0 कार्यालय को प्रेषित करें ताकि उन्हें नवीनतम सूचनायें E-mail अथवा S.M.S. के माध्यम से भेजी जा सके। रजिस्ट्रार
registrarbehmup@gmail.com

राज्यों को ही प्रमुखता दे रही है केन्द्र सरकार

केन्द्र व राज्यों के परस्पर सामंजस्य से ही कार्य चलते हैं, कुछ ही विषय ऐसे होते हैं जहाँ पर राज्य का पूर्ण अधिकार होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी नियम, परिनियम व उपनियम बनते हैं इन्हें केन्द्र सरकार बनाता है परन्तु इन नियमों को अपने–अपने राज्यों में लागू करना या ना करना राज्यों के विवेक पर निर्भर करता है यह बात वर्तमान में प्रचलित सभी चिकित्सा पद्धतियों पर लागू होती है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी भले ही अभी मान्यता के लिये पंक्तिबद्ध हो लेकिन अधिकार प्राप्त तो है ही, इसलिये इस चिकित्सा पद्धति के उत्थान के लिये केन्द्र और राज्यों में आपसी सामंजस्य का होना अति आवश्यक है।

जहाँ तक केन्द्र सरकार की बात है केन्द्र सरकार सदैव से ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की हितैषी रही है केन्द्र में बैठे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का न तो विरोध किया है और न ही इस चिकित्सा पद्धति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है, गुज़रे 67 वर्षों में आज तक एक भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा आदेश नहीं किया गया है जबकि अधिकांश राज्य सरकारों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विरुद्ध जब भी उन्हें अवसर मिला विषवमन किया और अवसर मिलते ही कार्यवाही भी की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में फलती–फूलती इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पर कतरने का काम वहाँ के राज्य सरकारों द्वारा किया गया है, महाराष्ट्र सरकार भी यदा कदा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विरुद्ध कार्य करती रहती है।

उ0प्र0 सरकार भी इस मामले में पीछे नहीं रही है उसने भी कई बार ऐसे–ऐसे आदेश जारी किये जिससे कि स्थितियां विषम बन गई थीं परन्तु सूझ–बूझ से किये गये काम के कारण आज उ0प्र0 ही एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने के लिये सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया जा चुका है। 25 नवम्बर, 2003 को भारत सरकार ने जो आदेश जारी किया था वह भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विरुद्ध नहीं था।

गलत व्याख्या होने के कारण कुछ दुष्प्रभाव हम सब को भोगने पड़े परन्तु 05–05–2010 के स्पष्टीकरण के बाद सब कुछ साफ हो गया था, यही एक ऐसा आदेश है जिसे राज्य सरकारों को भेजा नहीं गया था न्यायालय हो या केन्द्र सरकार हर आदेश पालन के लिये राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाता है, 1998 में दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश को भी केन्द्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को लागू करना था, 2003 के आदेश को भी राज्य सरकारों को प्रसारित करना था, 21 जून, 2011 का आदेश केन्द्र का है पर इसे लागू राज्यों को करना है। 28 जुलाई, 2017 को माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सदन को बताया कि हमने एक एडवाईज़री जारी कर रखी है राज्य सरकारों को हमने एडवईस की है कि वह इसे रेगुलेट करें, अभी हाल में ही देश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय जे0 पी0 नड्डा जी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री (माननीय चन्द्र बाबू नायडू) को पत्र लिख कर यह बताया है कि राज्य सरकार ही मामलों का निस्तारण करने में सक्षम होती है इसलिये केन्द्र और राज्य में सामंजस्य का होना अति आवश्यक है।

दिसम्बर के बाद केन्द्र सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये जो कुछ भी निर्णय लेगी उसका अनुपालन राज्यों को ही करना होगा अस्तु केन्द्र सरकार के निर्णय की तो हम प्रतीक्षा करें साथ–साथ इस बात के लिये भी तैयार रहें कि हमें किस तरह से केन्द्र सरकार के आदेश को राज्यों में लागू कराना है। हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि राज्य सरकारें किसी भी आदेश को लागू करने में कितनी हीला–हवाली करती हैं उदाहरण के तौर पर क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेन्ट एक्ट 2010 में केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया था, 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी सभी राज्यों में यह एक्ट पूरे तौर पर लागू नहीं हो पाया है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संदर्भ में 18 नवम्बर, 1998 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक गाईडलाईन जारी की थी जिसका समर्थन 24 नवम्बर, 2000 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था, इस गाईडलाईन को सभी राज्य सरकारों को लागू करना था , 19 वर्ष लगभग पूरे होने को आ रहे हैं परन्तु आज तक किसी भी राज्य सरकार द्वारा न्यायालय के इस आदेश को लागू करने का साहस नहीं दिखाया गया है इसी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा जारी 21 जून, 2011 का आदेश जोकि सभी राज्य सरकारों को लागू करने के लिये निर्देश है और 21 जून, 2011 का यही आदेश जो वर्तमान सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मैकेनिज़्म के लिये एडवाईज़री के रुप में प्रयोग में लाया जा रहा है, केन्द्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल इस बात को स्वीकारती भी हैं कि उन्होंने राज्य सरकारों को रेगुलेट करने के लिये लिखा है परन्तु आज तक किसी भी राज्य सरकार ने पूर्व के आदेशों की तरह इस आदेश को भी क्रियान्वित करने में कोई रुचि नही दिखायी। यहाँ पर यह सब लिखने का तात्पर्य यह है कि हम सभी दिसम्बर तक तो अभी प्रपोज़ल देने और सरकार द्वारा निश्चित की गयी अवधि के बन्धन में बंधे हैं, दिसम्बर के बाद जब सरकार द्वारा दी गयी अवधि समाप्त हो जायेगी (अगर समय नहीं बढ़ाया गया तो) तत्पश्चात सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा प्रेषित प्रपोज़लों का अध्ययन किया जायेगा उसके पश्चात समीक्षा की जायेगी तदोपरान्त कोई नीतिगत निर्णय लिया जा सकता है और जो भी निर्णय लिया जायेगा उस निर्णय को राज्य सरकारों को लागू करने के लिये कहा जायेगा।

अब यह राज्य सरकारों पर है कि वे केन्द्र सरकार के इस निर्देश को कितना मानती हैं ?इसलिये इन सब कार्यक्रमों में एक लम्बा समय लग सकता है जब केन्द्र सरकार 21 जून, 2011 के आदेश को ही एडवाईज़री के रुप में प्रयोग कर रही है जिसे बार–बार माननीया मंत्री जी स्वीकार भी करती हैं अस्तु बिना समय नष्ट किये केन्द्र सरकार को चाहिये कि जिस आदेश को अस्त्र के रुप में वह प्रयोग कर रही है उसी आदेश का अनुपालन कड़ाई से राज्य सरकारों द्वारा कराने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दिखाये। देश के 29 राज्यों में से 16 राज्यों में भाजपा व उनके सहयोगियों की सरकार है ऐसे में उन 16 राज्यों में तो यह आदेश प्रभावी ढंग से लागू करवाया जा सकता है इन 16 राज्यों में देश की 70 प्रतिशत आबादी रहती है और यही देश के सबसे बड़े राज्य हैं, उ0प्र0 में पहले से ही शासनादेश है, उत्तराखण्ड में शर्तों के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी चल रही है, महाराष्ट्र में एक वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, बिहार और झारखण्ड राज्य मौन समर्थन दे रहे हैं पंजाब व हरयाणा भी साथ हैं ऐसे में केन्द्र सरकार को चाहिये कि 21 जून, 2011 के आदेश को शीघ्र से शीघ्र पूरे देश में लागू कराये।

- ✓ केन्द्र बनाता है नीति
- ✓ राज्य करते हैं अनुपालन
- ✓ केन्द्र व राज्यों में सामंजस्य
- ✓ न्यायालय से सरकार तक सभी एक मत
- ✓ राज्यों से ही सफलता
- ✓ उ0प्र0 पहले से ही सफल

भारत के नव नियुक्त स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी।

अनापेक्षित अपेक्षा

जीवन है तो अपेक्षायें हैं धरती के हर प्राणी के अन्दर अपेक्षाओं का गुण होता है और यह अपेक्षायें भी कितनी अजीब होती हैं कि हर अपनों से अपेक्षायें होने लगती हैं यह आवश्यक नहीं है कि हर अपेक्षा पूरी ही हो अस्तु अपेक्षा वही होनी चाहिये जो पूरी हो सके और एक सही दिशा का निर्माण करे।

हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 03 सितम्बर, 2017 को अपने मंत्रिमण्डल का विस्तार किया, इसमें 9 नये मंत्रियों ने शपथ ली 4 मंत्रियों के विभागों में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ इन्हीं 9 मंत्रियों में से एक मंत्री हैं श्री अश्विनी चौबे जी जिन्हें इस विस्तार में मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ है।

श्री चौबे के मंत्री बनने से इलेक्ट्रो होम्योपैथों में काफी उत्साह है और यह उत्साह अकारण नहीं है क्योंकि माननीय चौबे जी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक जाना पहचाना नाम है, इनके साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की भावनायें जुड़ी हुई हैं इसलिये अधिकांश इलेक्ट्रो होम्योपैथ माननीय चौबे जी का बहुत सम्मान करता है क्योंकि हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथियों का ऐसा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भला अवश्य करेंगे इसलिये इनसे इलेक्ट्रो होम्योपैथों को अपेक्षायें भी हैं।

यह एक सुखद संयोग है कि विभागों के बंटवारे में श्री चौबे जी के पास चिकित्सा और स्वास्थ्य जैसा महत्वपूर्ण विभाग हाथ आया है, चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है और चौबे जी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उपयोगिता और योग्यता से पूर्व से ही भलीभांति परिचित हैं इसलिये अपने विभागीय मंत्री से स्नेह होना स्वाभाविक है, श्री चौबे जी बिहार राज्य के बक्सर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं मंत्री बनने से पूर्व श्री चौबे जी स्वास्थ्य मंत्रालय की संसदीय समिति में सदस्य थे।

श्री चौबे 10 वर्ष तक बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और अपने मंत्रित्व काल में ही आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चमत्कारी प्रभाव से परिचित हो चुके हैं जिसका प्रभाव इनके मन पर बहुत गहराई तक पड़ा है, हर सार्वजनिक मंच से आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चर्चा करना नहीं भूलते हैं, इन्हीं सब कारणों से हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ गद–गद हैं और मन में तरह–तरह की अपेक्षायें भी पाल रखे हैं।

अपेक्षा करना बुरी बात नहीं है परन्तु अपेक्षाओं के पूर्ण होने में जिससे अपेक्षा की जाती है उसकी भी कुछ सीमायें होती हैं और जब यह अपेक्षायें पूर्ण नहीं होती हैं तो व्यक्ति के मन में गलत भाव जन्म लेने लगते हैं अस्तु किसी से भी उतनी ही अपेक्षा करनी चाहिये जितनी कि वह पूर्ण कर सके।

इसे हम एक दिवा स्वप्न ही मानते हैं जिन लोगों के मन में यह भाव है कि अश्विनी चौबे जी मंत्री बन गये हैं अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिल ही जाये गी, यह सोच किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है क्योंकि मान्यता का विषय एक नीतिगत विषय है और किसी भी नीति को आवरण का रुप देने के लिये एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना होता है, इसे एक संयोग ही कहेंगे कि वर्तमान में भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये सकारात्मक रुख अपनाये हुये है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को विनियमित करने के लिये एक पूरी प्रक्रिया चला रही है निश्चित रुप से जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हुयी सरकार कोई न कोई निर्णय अवश्य लेगी।

मंत्री जी प्रक्रिया में रुकावट या अकारण विलम्बित करने की दिशा में मदद तो अवश्य कर सकते हैं परन्तु बिना प्रक्रिया के मान्यता दिला देंगे यह कदापि सम्भव नहीं है अस्तु जो कोई भी लोग मन में इस प्रकार का भ्रम पाले हैं कि अब श्री चौबे जी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री बन गये हैं, वह सबकुछ कर देंगे, तो ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिये कि माननीय मंत्री जी के पास ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है कि जिसे घुमाकर सबकुछ ठीक कर दिया जायेगा, यदि ऐसा होता तो बिहार राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दशा कुछ और ही होती।

एक और सुखद संयोग है कि श्री चौबे के पहले श्री सी0 पी0 ठाकुर केन्द्र में स्वास्थ्य विभाग के सर्वाधिकार सम्पन्न मंत्री बने पर उनसे क्या मिला ?यह सर्व विदित है, श्री ठाकुर भी बिहार से सांसद थे, श्री चौबे बिहार से ही सांसद हैं वे भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से पूर्व परिचित थे और यह भी पूर्व परिचित हैं, वे भी अपने थे, यह भी अपने हैं वे कैबनेट मंत्री थे यह राज्य मंत्री हैं अपेक्षायें उनसे भी थीं और अपेक्षायें इनसे भी हैं।

स्वयं ही फंसते जा रहे हैं चक्रव्यूह में

चक्रव्यूह शब्द आते ही हमें महाभारत काल की याद आ जाती है, इसी चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु जैसे वीर ने अपने प्राण गवां दिये थे, चक्रव्यूह शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि अपने ही बनाये कार्यक्रमों में स्वयं फंस जाना, सामान्यतयः व्यक्ति दूसरों को फंसाने के लिये चक्रव्यूह की रचना करता है परन्तु कभी–कभी ऐसा भी हो जाता है कि दूसरों को परेशान करने के लिये जिस व्यूह की रचना की जाती है उसमें फंसकर व्यूह का रचनाकार ही स्वयं परेशान हो जाता है वैसे तो यह सारी क्रियायें व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये ही की जाती हैं किन्तु कभी–कभी घटनाक्रम ऐसे मोड़ लेते हैं कि सारी क्रियायें व्यर्थ हो जाती हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इस तरह की घटनायें प्रायः दिखायी दे जाती हैं जिससे कि समय समय पर इस चिकित्सा पद्धति को नई–नई परेशानियों का सामना करते रहना पड़ता है।

वर्तमान में बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सबकुछ ठीक–ठाक चल रहा है और जो परिस्थितियां बन रही हैं वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के उन्नयन के लिये बन रही हैं और हम सब ऐसी आशा भी कर रहे हैं कि शीघ्र ही कोई अच्छे परिणाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये आने वाले हैं परन्तु कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो परिणामों की प्रतीक्षा किये बगैर ही नये परिणाम की ओर बढ़ जाते हैं उनके इस बढ़ते हुये कदमों का असर क्या होगा इसकी वह ज़रा भी चिन्ता नहीं करते हैं और स्वयं नीति निर्धारक बनते हुये आगे कदम बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ना बुरी बात नहीं है परन्तु जब बात व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक हो तब कदम बहुत सोच–समझकर बढ़ाने चाहिये।

गुज़रे 29 अगस्त को प्रदेश की एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्था ने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में एक याचिका लगायी और याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायलय से मांग की कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की नीति निर्धारण में उसे भी सम्मिलत किया जाये सम्मिलित करने के लिये याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि उसकी संस्था सोसाईटी एक्ट में पंजीकृत है व उसके संस्था द्वारा विद्यालयों का संचालन कर डिग्री और डिपलोमा प्रदान किये जाते हैं, 29 अगस्त को मुकदमा लगाया गया, 31 अगस्त को सुनवाई हुयी और उसी दिन मुकदमें का निस्तारण भी हो गया। इस मुकदमें में आज जो कुछ भी परिणाम आये हैं इन परिणामों को लेकर याचिकाकर्ता और उनके साथी प्रसन्न हैं, परन्तु उनकी यह प्रसन्नता कितने दिनों के लिये है यह वे स्वयं नहीं जानते हैं, परन्तु इतना अवश्य है कि जो परिणाम आया है आने वाले दिनों में उसके परिणाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से अवश्य दिखायी देने लगें गे।

यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर क्या प्रभाव डालेंगे ?इस विषय पर कुछ भी टिप्पणी करना अभी जल्दबाज़ी होगी परन्तु प्रभाव नहीं पड़े और नई स्थिति ना निर्मित हो इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, यह एक तरह से स्वयं व्यूह रचना करना और उसमें फंस जाना जैसा ही है यह सर्वविदित है कि 28 फरवरी, 2017 से भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में जो कुछ भी कदम उठाये जा रहे हैं वे इस बात को स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं कि भारत सरकार यह मन बना चुकी है कि अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विनियमतिकरण हो ही जाना चाहिये, इस विनियमतिकरण में जो कुछ भी औपचारिकतायें पूर्ण करनी है वह तो हर मायने में पूर्ण करना ही पड़ेगा, कारण हर शासकीय कार्य एक निश्चित प्रक्रिया से गुज़रने के बाद ही पूरी होती है भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की विनियमतिकरण के लिये जिस समयावधि के अन्दर प्रक्रिया पूरी करने के लिये कहा है उसका पालन हम सब को करना होगा यदि कोई यह कहे कि बिना प्रक्रिया पूरी करे हमें परिणाम प्राप्त हो जाये तो यह नितान्त हास्यास्पद बात होगी। इसलिये कर्तव्यों का पालन तत्पश्चात परिणामों की प्रतीक्षा करने में ही लाभ है अस्तु जो लोग इस समय न्यायालयों के माध्यम से कुछ पाना चाहते हैं वह कुछ करें या ना करें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये नई व्यवस्था निर्मित कर देंगे।

हमीरपुर में मैटी को श्रद्धांजलि देते हुये डा0 नरेन्द्र भूषण निगम व अन्य छाया– गज़ट

जौनपुर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर में विचार रखते हुये डा0 प्रमोद कुमार मौर्या एवं अन्य–छाया गज़ट

मैटी के कार्यों के सही मूल्यांकन का समय आ गया है

पिछले डेढ़ शतक वर्षों से महात्मा मैटी द्वारा किये गये कार्यों पर चर्चा होती है, सराहना होती है और कभी–कभी अन्य चिकित्सा पद्धतियों से तुलना भी होती है, चर्चा, सराहना, तुलनात्मक अध्ययन अच्छी बात है परन्तु जब तक कार्यों का मूल्यांकन नहीं होता तब तक सब कुछ व्यर्थ है।

इत्तनी लम्बी विचार इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता काउण्ट सीज़र मैटी की 121वीं पुण्य तिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने व्यक्त किये, डा0 इदरीसी ने कहा भारत सरकार द्वारा गठित इन्टरडिपार्टमेन्टल बताये हुये रास्ते पर चलने की सलाह दी तत्पश्चात सुश्री डा0 मारिया इदरीसी ने माल्यार्पण करते हुये चिकित्सकों से अपील की कि जो नये व युवा चिकित्सक हैं वे इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही व्यवहार में लायें और अपने से सम्बन्धित लोगों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी से परिचित करायें कार्यक्रम में अपने अवसर हमें अब प्राप्त हुआ है हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिये श्री यादव नें निवेदन किया कि बोर्ड के पदाधिकारियों को चाहिये कि वह कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि जनपद के चिकित्सक कम से कम महीने में एक बार बैठ कर आपस में चर्चा करें और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उपलब्धियों की जानकारी लें, ही सकते हैं क्योंकि जो परिदृष्य हमारे सामने है वे एक अच्छे भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं अभी जो कुछ भी प्राप्त होने वाला है वह हमारे सब साथियों के कार्यों का फल होगा और इस फल को हम किस तरह सहेज कर रख पाते हैं यह हमारे साथियों का दायित्व है, डा0 बाजपेई ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि जो

बायें से दायें डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई–महासचिव इहमाई, डा0 एम0 एच0 इदरीसी–चेयरमैन B.E.H.M.U.P. एवं डा0 शाहिना इदरीसी–O.S.D. – छाया गज़ट

डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई–महासचिव इहमाई, एवं डा0 एम0 एच0 इदरीसी–चेयरमैन B.E.H.M.U.P. संयुक्त रुप से महात्मा मैटी को माल्यार्पण करते हुये।

समयावधि बीत जाने के उपरान्त अब कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि महात्मा मैटी ने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था उन सिद्धान्तों पर चलते हुये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सकों ने जो कार्य किये हैं उनके कार्यों के मूल्यांकन का वस्तुतः अब सही समय आ गया है, यह कमेटी हमें यह सोचने के लिये विवश कर देती है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कार्यों का मूल्यांकन किस तरह से करवाया जाये ?कार्यक्रम में सर्वप्रथम बोर्ड की ओ0 एस0 डी0 श्रीमती शाहीना इदरीसी ने मैटी के चित्र पर माल्यार्पण कर मैटी को श्रद्धान्जली देते हुये उनके विचार देते हुये डा0 प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि हमने जो कुछ भी अपने अग्रजों से सीखा है उसे पूरा करने का अवसर वास्तव में अब मिला है।

कार्यक्रम में अपने विचार देते हुये डा0 अखिलेश यादव ने मैटी को श्रद्धान्जली देते हुये कहा कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जो कार्यक्रम को विचार देते हुये डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई ने कहा कि जो कुछ भी हमने भोगा वह हमारी नियति थी और अब जो कुछ भी मिलेगा वह हमारे कर्मों का परिणाम है। डा0 बाजपेई ने आगे कहा कि हमें क्या मिलना है ?यह स्पष्ट नहीं है परन्तु आशापूर्वक सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा तो कर लोग मार्ग से भटक गये थे वे भी सही मार्ग पर चलने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, मैटी के मृत्यु के बारे में जो भ्रान्तियां थीं धीरे–धीरे वह भी घट रही हैं वैज्ञानिक कभी मरते नहीं हैं न्यूटन, आइन्सटीन, अबोग्रादो, मार्कोनी, मैण्डलीफ आदि वे नाम हैं जो आज भी सितारों की भांति चमक रहे हैं।

बायें से दायें डा0 शाहिना इदरीसी–ओ0एस0डी0 (बी0ई0एच0एम0यू0पी0), डा0 मारिया इदरीसी एवं डा0 प्रमोद सिंह मैटी जी को माल्यार्पण करते हुये – छाया गज़ट

चार महींने अच्छे गुज़रेंगे

हर व्यक्ति की यह प्रबल इच्छा होती है कि उसके जीवन के दिन अच्छी तरह से गुज़रें परन्तु जिस व्यक्ति का जीवन उतार–चढ़ाव भरा हो उसके जीवन में यदि कुछ पल खुशी के आजाते हैं तो वह इन्हीं पलों में पूरी ज़िन्दगी जी लेना चाहते हैं।

यह ज़िन्दगी कब तक कितनी खुशी दे यह किसी को पता नहीं होता, इसलिये जो पल खुशी के मिले हैं उन्हें जी भर कर जी लेने चाहिये।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी जीवनपर्यन्त तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं बहुत कम ऐसे अवसर आये हैं जब एक लम्बे समय तक के लिये खुशियां झोली में आयी हैं, 03 सितम्बर को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के विस्तार के बाद माननीय अश्विनी चौबे जी को स्वास्थ्य राज्यमंत्री का पद भार मिला, अश्विनी जी का काफी पुराना सम्बन्ध इलेक्ट्रो होम्योपैथी से है श्री चौबे को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गुणवत्ता से व्यक्तिगत अनुभव है उनके एक पारिवारिक सदस्य को कैन्सर जैसी असाध्य बीमारी से दो–चार होना पड़ा था और जिस पीड़ा को उस व्यक्ति ने झेला जिसका सीधा प्रभाव चौबे जी पर भी पड़ा, परेशान चौबे जी उस समय बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे इस कारण वे अपने रिश्तेदार को अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करा सकते थे परन्तु हर ओर से निराश होने के बाद उन्हें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में जानकारी मिली तब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की शरण में गये जहाँ से उनके करीबी को आशुतोष लाभ मिला जिसका परिणाम यह हुआ कि श्री चौबे के मन में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति अगाध प्रेम पैदा हुआ।

डा0 अखिलेश यादव मैटी जी को माल्यार्पण करते हुये

आज यही चौबे जी केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे हैं इसलिये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ माननीय चौबे जी से उनके गुणों से जुड़ा है वह प्रतीक्षारत है कि चार महीने के बाद जब भारत सरकार कोई निर्णय लेगी उस समय चौबे जी की भुमिका अहम होगी, समय भी पूरा चार महीने का है सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर इन चार महीनों में हमारे साथी कल्पनालोक में विचरण करेंगे और एक–एक दिन इस प्रतीक्षा में काटेंगे कि कब जनवरी आये और हम सफलता का मीठा फल चखें।

वैसे भी भारतीय संस्कृति में चार महीनों का बड़ा महत्व है ऋषि–मुनि अभीष्ठ की प्राप्ति के लिये चार महीने का चातुरमास करते थे ऋतुयें भी चार होती हैं, दिशायें भी चार होती हैं, वेद भी चार हैं और संयोग से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सफलता के लिये महीनें भी चार हैं इसलिये हम सभी इन चार महीनों को जी भर कर जियें और अच्छे भविष्य की कल्पना ही न करें अपितु यह कामना करें कि हमारे जो साथी प्रपोज़ल देने के लिये उत्सुक हैं वे गम्भीरता से विचार करने के उपरान्त ही प्रपोज़ल देने के बारे में विचार करें।

दैं से माननीय। अनुप्रिया पटेल (स्वास्थ्य राज्य मंत्री) द्वारा सदन में दिये गये उत्तर के बाद एक निराशामय वातावरण जो निर्मित हुआ था धीरे–धीरे वह कुहासा छटने लगा है इस कार्य के लिये पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने जो पहल की निश्चित रुप से वह सराहनीय है।

इधर प्रदेश में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने ताबड़–तोड़ प्रेस–कॉन्फ्रेन्सेस आयोजित कर जनता के सामने अपना पक्ष रखा व सच्चाई से अवगत कराया फलस्वरुप पूरे प्रदेश में वातावरण ही बदल गया, हमारे जो साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के आन्दोलन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे थे उनके अन्दर भी जागृत चेतना का भाव जन्मा है और वे भी वास्तविकता से परिचित होते हुये उत्साह से लबरेज़ हुये हैं।

प्रेस वार्ताओं का यह क्रम अभी जारी है, हम चाहते हैं कि महानगरों से लेकर गाँव या कस्बों में बैठने वाला हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का चिकित्सक वर्तमान स्थिति से परिचित हो और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़कर काम करे, हमें प्रसन्नता है कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश के हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अगुवाकारों ने इस बात को समझा और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ पद्धति के लिये कार्य करना पसन्द कर रहे हैं निश्चित रुप से चार महीनों के बाद आने वाले दिन हम सब के लिये निर्णायक साबित होने वाले हैं।

इसी अवधि में हम सबको यह भी पता लग जायेगा कि कौन हमारा शुभेषु है और कौन दिखावटी हितेषु।

बायें से दायें डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई–महासचिव इहमाई, डा0 शाहिना इदरीसी–ओ0एस0डी0 बी0 ई0 एच0 एम0 यू0 पी0, श्री मो0 वसीम मैटी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुये एवं डा0 एम0 एच0 इदरीसी–चेयरमैन बी0 ई0 एच0 एम0 यू0 पी0।